

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- cepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक **543** / चार-प्रावि० / वनभूमि पत्रा० / पी०एम०जी०एस०वाई० / 2024-25, दिनांक **24** / 09 / 2024
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है० (पूर्व में 4.72 है०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रपोजल संख्या **FP/UK/ROAD/21220/2016**)

सन्दर्भ:- 1:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06 /70/2019/एफ०सी०/2912, दिनांक 29.08.2024
2:-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2004/12-1, देहरादून, दिनांक 19.03.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अपने कार्यालय पत्रांक 993/12-1, दिनांक 04.09.2024 का अवलोकन करने के का कष्ट करें। जिसके द्वारा बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा वॉछित (1) वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र में पौधरोपण की स्थिति एवं (2) उक्त पौधरोपण में ओक प्रजाति के पौधों का प्रतिशत की सूचना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड को प्रेषित की गई है। किन्तु ऑनलाईन प्रेषित न किये जाने के कारण उक्त वनभूमि प्रस्ताव वर्तमान में खण्ड स्तर पर दर्शित हो रहा है।

अतः आप द्वारा प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड को प्रेषित सूचना संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि कृपया उक्त प्रस्ताव को ऑनलाईन अपने स्तर से अग्रसारित करवाने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जा सकें।

संलग्न:-उक्तानुसार भारत सरकार द्वारा वॉछित सूचना।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- 1:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 2:- मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए० उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 3:- मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (ग०क्षे०) उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 4:- अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर (मु० गौचर)।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No&01372252149

Email:- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:-

गोपेश्वर,

दिनांक 04/09/2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 है0 (पूर्व में 4.72 है0) वन भूमि का गैर वनिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार के कार्यालय का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/70/2019/एफ0सी0, दिनांक 29.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित मोटर मार्ग हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा बिन्दु सं0 III एवं निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं0 3(ख) की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

क0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या												
1	वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र में पौधरोपण की स्थिति।	प्रकरण में मल्ला चांदपुर II क0 सं0 04 में वर्ष 2021-22 में रोपण किया गया था। वर्तमान में उक्त वनीकरण क्षेत्र में सफलता प्रतिशत 78% है।												
2	उक्त पौधरोपण में ओक प्रजाति के पौधों का प्रतिशत।	<table border="1"><thead><tr><th>प्रजाति का नाम</th><th>वर्ष 2021-22 में रोपित पौध सं0</th><th>जुलाई 2024 में जीवित पौध सं0</th><th>सफलता प्रतिशत</th></tr></thead><tbody><tr><td>बांज</td><td>2880</td><td>2310</td><td>81%</td></tr><tr><td>मोरु</td><td>800</td><td>640</td><td>80%</td></tr></tbody></table>	प्रजाति का नाम	वर्ष 2021-22 में रोपित पौध सं0	जुलाई 2024 में जीवित पौध सं0	सफलता प्रतिशत	बांज	2880	2310	81%	मोरु	800	640	80%
प्रजाति का नाम	वर्ष 2021-22 में रोपित पौध सं0	जुलाई 2024 में जीवित पौध सं0	सफलता प्रतिशत											
बांज	2880	2310	81%											
मोरु	800	640	80%											

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रोत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीया,

H. K. Jha

(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या:- 993 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कर्णप्रयाग को उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

H. K. Jha

(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



J. K. Jha / Nodal Forest Officer
12/9/24

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykarandprayag@rediffmail.com

पत्रांक 494 / चार-प्रावि० / वनभूमि पत्रा० / पी०एम०जी०एस०वाई० / 2024-25, दिनांक 12 / 09 / 2024
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है० (पूर्व में 4.72 है०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रपोजल संख्या FP/UK/ROAD/21220/2016)

सन्दर्भ:- 1:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी / यू०सी०पी० / 06 / 70 / 2019 / एफ०सी० / 2912, दिनांक 29.08.2024
2:-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2004 / 12-1, देहरादून, दिनांक 19.03.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के उक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने के का कष्ट करें। जिसके द्वारा बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति हेतु (1) वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र में पौधरोपण की स्थिति एवं (2) उक्त पौधरोपण में ओक प्रजाति के पौधों का प्रतिशत के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है, जो कि आपके स्तर से प्रेषित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है, कि कृपया उक्तानुसार वॉछित सूचनाएं अपने स्तर से अग्रसारित करने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जा सकें।
संलग्न:-सन्दर्भित पत्र।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1:- मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए० उत्तराखण्ड देहरादून।
2:- मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (ग०क्षे०) उत्तराखण्ड देहरादून।
3:- अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर (मु० गौचर)।
4:- श्री धीरेन्द्र सिंह भण्डारी, सहायक अभियन्ता, (द्वितीय) ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड कर्णप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की आप प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग गोपेश्वर से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उक्त प्रस्ताव आज की अग्रसारित करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग।